

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग,  
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/P/21/00027

दिनांक. 14.01.2021

सेवा में,

श्री अनुज कुमार जैन

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रपति कार्यालय को प्रेषित आपका दिनांक 28.11.2020 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 23011/4/2020-PG Cell/P-03196 दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 द्वारा आपके आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ । आपके उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:-

जैसा कि DoPT के उक्त संदर्भित पत्र (पत्र सं. 23011/4/2020-PG Cell/P-03196 दिनांक 30 दिसम्बर, 2020) में बताया गया है कि आपका दिनांक 30.09.2020 का शिकायती पत्र को DoPT के लोक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा CPGRAM पंजीकरण सं. DOPAT/P/2020/00777 केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया था ।

उक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि CPGRAM पंजीकरण सं. DOPAT/P/2020/00777 का निस्तारण कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।

राम कुमार

(राम कुमार)


केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई.सेल

दूरभाष - 011-26172690

संलग्नक - यथोपरि ।

Details for registration number : DOPAT/P/2020/00777

Name	ANUJ KUMAR JAIN
Date of receipt	18/11/2020
Address	956 IN FRONT NAVRATNA PRESS BRAHAMPURI
District name	Meerut
State name	Uttar Pradesh
Mobile no	Not Provided
Email Id	Not Provided
Grievance description	
GRIEVANCE ATTACHED	
Additional Information	Not Provided
Grievance Document	 (/CPGOFFICE/FileUpload/Preview/DOPAT_P_2020_00777)
Type of receipt	Transferrec

## Action History of registration number: DOPAT/P/2020/00777

SN.	Action Taken	Date of Action	From	To	Remarks	Action Taken by	Document
1	RECEIVED THE GRIEVANCE	18/11/2020	COMPLAINANT - (C1TZN)	Department of Personnel and Training - (DOPAT)			
2	TAKEN UP WITH SUBORDINATE ORGANISATION	18/11/2020	Department of Personnel and Training - (DOPAT)	DSIR- Information Rights - (DRRTI)		Ms. Rashmi Chowdhary (Joint Secretary Admn)	
3	TAKEN UP WITH SUBORDINATE ORGANISATION	25/11/2020	DSIR- Information Rights - (DRRTI)	CENTRAL INFORMATION COMMISSION - (SYCIC)		Ms. Varsha Sinha (Director)	

4	CASE DISPOSED OF	06/01/2021	DSIR- Information Rights - (DRRTI)	COMPLAINANT - (C1TZN)	आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) यह प्रावधान करती है कि यदि सीपीआईओ आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना नहीं दे पाते हैं अथवा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है, तब आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को प्रथम अपील कर सकते हैं जो सामान्यतया उसी विभाग में सीपीआईओ से दरिष्टी कोई अधिकारी होता है। यदि आवेदक को तब भी उत्तर अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्ति नहीं होता है तो आवेदक अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार एफएए के निर्णय के 90 दिनों के भीतर संबंधित सूचना आयोग को दूसरी अपील दायर कर सकता है।	Ms. varsha Sinha (Director)
---	---------------------	------------	---	--------------------------	---	-----------------------------------

Print

Close